



सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल - 462011

दूरभाष : 0755-2554821, 2764037 फ़ैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth
In Public Interest

क्रमांक/नि.वि.1/समूह-4/का.आ./ 33

दिनांक:- 11.5.2022

कार्यालय-आदेश

मुख्यालय के पत्र सं. 571/स्टाफ नियुक्ति/पी.सी.सैल/02/2017 दिनांक 14 मई 2019 के तहत वितरित, मुख्यालय के परिपत्र संख्या 21 स्टाफ विंग/2019 के अनुसार, निम्न लिखित संभागीय लेखाधिकारी ग्रेड-1 को उनके नाम के सम्मुख दिए गए विवरण अनुसार ग्रेड पे 4800 वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8' की सेवा में, चार वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें उनके नाम के सामने दर्शाए गए दिनांक से, 5400/-(पी.बी.-2)(वेतन मैट्रिक्स का स्तर-9) की गैर-प्रयोजन मूलक उन्नयन (Non Functional up gradation(NFU)की संस्वीकृति प्रदान की जाती है। उपरोक्त गैर-प्रयोजन मूलक उन्नयन (Non Functional up gradation(NFU)की संस्वीकृति के पश्चात्, उनके पदनाम और वरिष्ठता में कोई बदलाव नहीं होगा :-

S.No.	Name of DAO-I Smt./Shri	Date of Promotion to the post of DAO-I (Level-8)	Date of Completion of 4 years on the post held by DAO-I	Date from which NFU is Admissible in (Level-9)
1	Loknarayan Patle	01.01.2009	31.12.2012	19.12.2017
2	Brijendra Narain Tiwari	01.12.2017	30.11.2021	01.12.2021
3	Vimal kumar Shakya	01.12.2017	30.11.2021	01.12.2021
4	Mukesh Kumar	01.12.2017	30.11.2021	01.12.2021


यह गैर-प्रयोजन मूलक उन्नयन (Non Functional up gradation(NFU)) उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से प्रभावी रहेगा। गैर-प्रयोजन मूलक उन्नयन (Non Functional up gradation(NFU)) की स्वीकृति की गणना, संशोधित सुनिश्चित कैरियर पदोन्नति योजना (एम.ए.सी.पी.) के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के लिए की जावेगी तथा एम.ए.सी.पी. के अंतर्गत यदि कोई हो तो, गैर-प्रयोजन मूलक उन्नयन (Non Functional up gradation(NFU)) की गणना उसकी स्वीकृति की दिनांक से की जावेगी।

उपरोक्त गैर-प्रयोजन मूलक उन्नयन (Non Functional up gradation(NFU)) संबंधित अधिकारियों को डी ओ पी टी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/11/2016-स्था.(Res-I)(Pt-II) दिनांक 15.06.2018 के पैरा 5 एवं मुख्यालय के पत्र संख्या 790-LC/280-2019 दिनांक 6.12.2021 में दिए गए शर्तों के तहत दिया जाता है। अतः उपरोक्त देय गैर-प्रयोजन मूलक उन्नयन (Non Functional up gradation(NFU)) मुख्यालय/उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण से परस्पर वरिष्ठता पर मामले के अंतिम निर्णय/अंतिम परिणाम, यदि कोई हो, तो उसके अधीन है। इसलिए अधिकारियों को उनकी सेवा अवधि के किसी भी समय, यदि आवश्यक हो तो परिस्थिति अनुसार उपरोक्त गैर-प्रयोजन मूलक उन्नयन (Non Functional up gradation(NFU)) वापस लिया जा सकता है।

चूंकि केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली 2016 के नियम 13 के अनुसार वेतन निर्धारण का लाभ गैर-प्रयोजन मूलक उन्नयन (Non Functional up gradation(NFU)) में स्वीकार्य है, अतः उपरोक्त

उल्लेखित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश के जारी करने की दिनांक से एक माह के भीतर, वेतन निर्धारण के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

(प्राधिकार: प्रधान महालेखाकार (ले/ह) प्रथम म प्र के आदेश दिनांक 11.05.2022)

 M Hamla


वरिष्ठ उप महालेखाकार (निर्माण लेखा)

क्रमांक/नि.वि.1/समूह-4/का.आ./डी- 268-69-70-71

दिनांक:- 11.5.2022

प्रतिलिपि:-

1. कार्यालय आदेश में क्रमांक 1 से 4 पर दशयि गये संभागीय लेखाअधिकारी श्रेणी-1
2. संबंधित कार्यपालन यंत्रि ।
3. उप-निदेशक, डाक एवंतार (लेखापरीक्षा) संचारभवन, अनेक्सी, अरेराहिल्स, भोपाल
4. गोपनीय सहायक/ उप-महालेखाकार (लेखा) स्थानीय ।
5. श्री एच.के.मीणा, महासचिव, म.प्र. संभागीय लेखाकार/संभागीय लेखाधिकारी संघ भोपाल ।
5. पदक्रम सूची ।
6. कार्यालय आदेश नस्ती ।
7. व्यक्तिगत नस्ती ।
8. संबंधित नस्ती ।

 V. S. 11/5/2022
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1